



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 120–2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 25, 2020 (BHADRA 3, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th August, 2020

No. 31-HLA of 2020/74/11656.— The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 31-HLA of 2020

THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

to provide relaxation in and amend certain provisions of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and to provide retrospective exemption from, or levy or collection of, State tax in certain cases and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-First Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020. Short title and commencement.
- (2) The provisions of sections 3 to 10 and 15 of this Act shall come into force from such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. For sub-clauses (c) and (d) of clause (114) of section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter called the principal Act), the following sub-clauses shall be substituted and shall be deemed to have been substituted from the 30th June, 2020, namely:—
“(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
(d) Ladakh;” Amendment of section 2 of Haryana Act 19 of 2017
3. In clauses (b), (c) and (d) of sub-section (2) of section 10 of the principal Act, after the words “of goods”, the words “or services” shall be inserted. Amendment of section 10 of Haryana Act 19 of 2017.
4. In sub-section (4) of section 16 of the principal Act, the words “invoice relating to such” shall be omitted. Amendment of section 16 of Haryana Act 19 of 2017.

- Amendment of section 29 of Haryana Act 19 of 2017.
- 5.** For clause (c) of sub-section (1) of section 29 of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:—
“(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:”.
- Amendment of section 30 of Haryana Act 19 of 2017.
- 6.** For the proviso of sub-section (1) of section 30 of the principal Act, the following proviso shall be substituted, namely:—
“Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,—
(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;
(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).”.
- Amendment of section 31 of Haryana Act 19 of 2017.
- 7.** For the proviso of sub-section (2) of section 31 of the principal Act, the following proviso shall be substituted, namely:—
“Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,—
(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner, as may be prescribed;
(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—
(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or
(ii) tax invoice may not be issued.”.
- Amendment of section 51 of Haryana Act 19 of 2017.
- 8.** In section 51 of the principal Act,—
(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner, as may be prescribed.”.
(b) sub-section (4) shall be omitted.”.
- Amendment of section 122 of Haryana Act 19 of 2017.
- 9.** After sub-section (1) of section 122 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:—
“(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.”.
- Amendment of section 132 of Haryana Act 19 of 2017.
- 10.** In sub-section (1) of section 132 of the principal Act,—
(i) in the first line, for the words “Whoever commits any of the following offences”, the words “Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences” shall be substituted;
(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
“(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;”;
(iii) in sub-clause (e), the words and sign “,fraudulently avails input tax credit” shall be omitted.
- Amendment of Section 140 of Haryana Act, 19 of 2017.
- 11.** In section 140 of the principal Act, —
(a) in sub-section (1), after the words “existing law”, the words “within such time and” shall be inserted;
(b) in sub-section (2), after the words “appointed day”, the words “within such time and” shall be inserted;
(c) in sub-section (3), for the words “goods held in stock on the appointed day subject to”, the words and signs “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner, as may be prescribed, subject to” shall be substituted;
(d) in sub-section (5), for the words “existing law”, the words and sign “existing law, within such time and in such manner, as may be prescribed” shall be substituted;
(e) in sub-section (6), for the words “goods held in stock on the appointed day subject to”, the words and signs “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner, as may be prescribed, subject to” shall be substituted;
and shall be deemed to have been inserted or substituted, as the case may be, from the 1st day of July, 2017.

- 12.** After section 168 of the principal Act, the following section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted from the 31st March, 2020, namely:-
- Insertion of section 168A in Haryana Act 19 of 2017.
- “168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances.-
- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to force majeure.
- (2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.
- Explanation.*— For the purposes of this section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.”
- 13.** In the proviso of sub-section (1) of section 172 of the principal Act, for the words “three years”, the words “five years” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted from the 30th June, 2020.
- Amendment of Section 172 of Haryana Act, 19 of 2017.
- 14.** In clause (f) of sub-section (2) of section 174 of the principal Act,-
- (i) for the sign “.” Existing at the end, the sign “.” Shall be substituted; and
- (ii) the following proviso shall be added, namely:-
- “Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions as appears to it necessary or expedient, for extending the time limits specified in, or prescribed or notified under the Repealed Acts or rules framed thereunder in respect of actions which may not be completed or complied with due to force majeure;
- Provided further that the power to issue notification under this sub-section shall include the power to give retrospective effect to such notification.
- Explanation.-** For the purposes of this section, the expression “force majeure” means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.”
- Amendment of section 174 of Haryana Act 19 of 2017.
- 15.** In Schedule II to the principal Act, in paragraph 4,-
- (i) in sub-para (a), the words “whether or not for a consideration,” shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect the 1st day of July, 2017;
- (ii) in sub-para (b), the words “whether or not for a consideration,” shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect the 1st day of July, 2017.
- Amendment of Schedule II to Haryana Act 19 of 2017.
- 16.** (1) Notwithstanding anything contained in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017,-
- (i) no State tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling under heading 2301), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive);
- (ii) State tax at the rate of six per cent shall be levied or collected in respect of supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery (falling under heading 8432, 8433 and 8436), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 31st day of December, 2018 (both days inclusive).
- (2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.
- Retrospective exemption from, or levy or collection of State tax in certain cases.
- 17.** (1) The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No. 1 of 2020) and the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No. 3 of 2020), are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under this Act.
- Repeal and saving.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra state* supply of goods or services or both by the State Government.

2. The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No.1 of 2020) was promulgated by H.E. Governor of Haryana *vide* Notification No. Leg.9/2020 published on 28th April, 2020. The Ordinance was issued for the State Legislature of Haryana not being in session. It was imperative upon the State to address the grievances and hardships being faced by the taxpayers on account of outbreak of pandemic COVID-19 expeditiously. So, the Ordinance was issued to relax certain provisions, including extension of time limit, in the HGST Act, 2017.

3. Goods and Services Tax in India is a dual system of taxation wherein tax is levied simultaneously by the Central Government and the States/UTs. It necessitates that the provisions of the GST should be brought into force uniformly and simultaneously by the Centre as well as all the States/UTs. The Centre Government had already effected certain amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 on the recommendations of the GST Council *vide* Finance Act, 2020. So, it was necessary and expedient for the State of Haryana to carry out these amendments in order to remain prepared for bringing the amendments in force as and when required. Therefore, the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No.3 of 2020) was promulgated by H.E. Governor of Haryana *vide* Notification No. Leg.19/2020 published on 13th August, 2020. The amendments incorporated by the Ordinance, *inter alia* included amendment in section 140 for prescribing the time limit and the manner for availing input tax credit against certain un-availed credit under the existing law. The amendments also included an amendment in Section 172 whereby the time period for passing an order for removal of difficulty (ROD) by the Government was extended from 3 years to 5 years. It would enable the Government to issue an order for the purpose of removing difficulties which may arise while giving effect to the provisions of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 up to 30th June, 2022.

4. The current Bill is being presented to regularize the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No.1 of 2020) and Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No.3 of 2020).

Hence this Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 25th August, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 31 एच० एल० ए०

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, के
कतिपय उपबन्धों को संशोधित करने तथा कतिपय
मामलों में राज्य कर से, या का उद्ग्रहण या
संग्रहण करने से भूतलक्षी छूट प्रदान करने
तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक
मामलों के लिए उपबंध करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।
(2) इस अधिनियम की धारा 3 से 10 तथा 15 के उपबंध, ऐसी तिथि से लागू होंगे, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (114) के उप-खण्ड (ग) तथा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 30 जून, 2020 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्:-
“(ग) दादर तथा नगर हवेली और दमन तथा दीव;
(घ) लद्दाख;”।
3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ख), (ग) तथा (घ) में, “माल” शब्द के बाद, “या सेवाओं” शब्द रखे जाएंगे।
4. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में, “संबंधित बीजक” शब्दों का लोप किया जाएगा।
5. मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(ग) कोई कराधेय व्यक्ति धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए इससे अधिक दायी नहीं है या धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने का आशय रखता है;”।
6. मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“परंतु दर्शाए जाने वाले पर्याप्त कारण से, तथा कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसी अवधि,-
(क) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए;
(ख) आयुक्त द्वारा, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के अतिरिक्त और तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए, बढ़ाई जा सकती है।”।
7. मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-
(क) सेवाओं या प्रदायों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिनके संबंध में कर बीजक, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में जारी किया जाएगा;
(ख) इसमें वर्णित शर्त के अधीन, सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिनके संबंध में,-
(i) प्रदाय के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक के रूप में समझा जाएगा; या
(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता।”।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 2 का संशोधन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 10 का संशोधन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 16 का संशोधन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 29 का संशोधन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 30 का संशोधन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 31 का संशोधन।

- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 51 का संशोधन।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 122 का संशोधन।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 132 का संशोधन।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 140 का संशोधन।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 168क का रखा जाना
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 172 का संशोधन।
8. मूल अधिनियम की धारा 51 में,—
(क) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
“(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण-पत्र, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में जारी किया जाएगा।”;
(ख) उपधारा (4) का लोप कर दिया जाएगा।
9. मूल अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
“(1क) कोई भी व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii) या खण्ड (ix) के अधीन आने वाले संव्यवहार का लाभ बनाए रखा है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया है, तो अपवंचित कर या प्राप्त किए गए या हस्तांतरित किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर राशि की शास्ति के लिए दायी होगा।”।
10. मूल अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) में,—
(i) प्रथम पंक्ति में, “जो कोई भी निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है” शब्दों के स्थान पर, “जो कोई भी निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है, या कारित करवाता है तथा उससे होने वाले लाभों को बनाए रखता है” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या कपट से किसी बीजक या बिल के बिना इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है;”;
(iii) उप-खण्ड (ड.) में, “कपट से इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करना” चिह्न तथा शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
11. मूल अधिनियम की धारा 140 में,—
(क) उप-धारा (1) में, “ऐसी रीति में” शब्दों से पूर्व “ऐसे समय के भीतर तथा” शब्द रखे जाएंगे;
(ख) उप-धारा (2) में, “ऐसी विहित रीति में” शब्दों के स्थान पर “ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ग) उप-धारा (3) में, “हकदार होगा” शब्दों से पूर्व पर, “ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में” शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे;
(घ) उप-धारा (5) में, “विद्यामन विधि” शब्दों से पूर्व, “ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में” शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे;
(ड.) उप-धारा (6) में, “नियत दिन” शब्दों से पूर्व, “ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में नियत दिन” शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे;
तथा प्रथम जुलाई, 2017 से रखे तथा प्रतिस्थापित, जैसी भी स्थिति हो, किए गए समझे जाएंगे।
12. मूल अधिनियम की धारा 168 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जायेगी तथा 31 मार्च, 2020 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—
“168क(1) विशेष परिस्थितियों में समयावधि में वृद्धि के लिए सरकार की शक्ति.—
(1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी कार्यवाहियों, जिन्हें अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं किया जा सकता या जिनकी अनुपालना नहीं की जा सकती, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट, अथवा के अधीन विहित या अधिसूचित समयावधि में वृद्धि कर सकती है।
(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से पूर्व की तिथि से ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति शामिल नहीं होगी।
व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के हेतु, “अनिवार्य बाध्यता” अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकंप या प्राकृति से उत्पन्न कोई अन्य आपदा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के लागूकरण को अन्यथा से प्रभावित करने वाला कोई मामला।”।
13. मूल अधिनियमों की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक में, “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 30 जून, 2020 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

14. मूल अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) के खंड (च) में,—
- (i) अंत में, विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
- "परन्तु सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे ऐसी कार्यवाहियों, जिन्हें अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं किया जा सकता या जिनकी अनुपालना नहीं की जा सकती, के संबंध में निरसित अधिनियमों या इसके अधीन बनाए नियमों में विनिर्दिष्ट, या के अधीन विहित या अधिसूचित समयावधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;
- परन्तु यह और कि इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी।
- व्याख्या:—* इस धारा के प्रयोजनों हेतु, "अनिवार्य बाध्यता" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकंप या प्राकृति से उत्पन्न कोई अन्य आपदा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के लागूकरण को अन्यथा से प्रभावित करने वाला कोई मामला।"
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 174 का संशोधन।
15. मूल अधिनियम की अनुसूची II में, पैरा 4 में,—
- (i) उप-पैरा (क) में, "चाहे जिसके लिए प्रतिफल है या नहीं," शब्दों तथा चीन का लोप कर दिया जाएगा तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से लोप किया समझा जाएगा।
- (ii) उप-पैरा (ख) में, "चाहे प्रतिफल हेतु या अन्यथा," शब्दों तथा चीन का लोप कर दिया जाएगा तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से लोप किया समझा जाएगा।
- 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की अनुसूची II का संशोधन।
16. (1) हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून 2017 में दी गई किसी बात के होते हुए भी,—
- (i) मछली चारे (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाले) के प्रदाय के संबंध में जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाली तथा सितंबर, 2019 के तीसवें दिन (दोनों दिन शामिल हैं) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई भी राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा;
- (ii) घिरनी, पहियों तथा अन्य पुरजों (शीर्ष 8483 के अधीन आने वाले) और कृषि मशीनरी (शीर्ष 8432, 8433 तथा 8436 के अधीन आने वाले) पुरजों के रूप में प्रयुक्त प्रदाय के संबंध में जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाली तथा दिसंबर, 2018 के इकतीसवें दिन (दोनों दिन शामिल हैं) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान राज्य कर छह प्रतिशत की दर से उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा।
- (2) सभी ऐसे करों का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है, किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए हुए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर लागू हुई होती।
- कतिपय मामलों में राज्य कर से, या का उद्ग्रहण या संग्रहण करने से भूतलक्षी छूट।
17. (1) हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) तथा हरियाणा माल तथा सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही समझी जाएगी।
- निरसन तथा व्यावृत्ति।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

2. 28 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या लैज. 9/2020 द्वारा हरियाणा के महामहिम राज्यपाल ने हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (हरियाणा का अध्यादेश संख्या 1) को प्रख्यापित किया था। हरियाणा राज्य विधानमंडल के सत्र में नहीं होने के कारण अध्यादेश जारी किया गया था। महामारी कोविड-19 के फैलने के कारण करदाताओं को आने वाली परेशानियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य के द्वारा यह किया जाना अति आवश्यक था। इसलिए, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में समय सीमा के विस्तार सहित कुछ प्रावधानों को शिथिल करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था।

3. भारत में माल और सेवा कर, कराधान की दोहरी प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा एक साथ कर लगाया जाता है। यह आवश्यक है कि जीएसटी के प्रावधानों को केन्द्र के साथ-साथ सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा समान रूप से और एक समय पर लागू किया जाए। केन्द्र सरकार ने पहले ही जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में कुछ संशोधनों को प्रभावित कर दिया था। इसलिए, हरियाणा राज्य के लिए इन संशोधनों को लागू करना आवश्यक और समीचीन था ताकि जब आवश्यक हो, राज्य संशोधन लागू करने के लिए तैयार रहे। इसलिए, हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3) को हरियाणा के महामहिम राज्यपाल ने 13 अगस्त, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या लैज.19/2020 द्वारा प्रख्यापित किया था। अध्यादेश में शामिल संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान विधि के अधीन कतिपय उपयोग न किए गए प्रत्यय के संदर्भ में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के लिए समय सीमा और रीति निर्धारित करने के लिए धारा 140 में संशोधन शामिल है। संशोधनों में धारा 172 में संशोधन भी शामिल है जिसके तहत सरकार द्वारा कठिनाई का निवारण करने के लिए आदेश (आर0ओ0डी0) पारित करने की समय अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई थी। यह सरकार को हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से 30 जून, 2022 तक आदेश जारी करने में सक्षम करेगा।

4. वर्तमान बिल को हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) और हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3) को नियमित करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः यह विधेयक।

दुष्यंत चौटाला,
उप-मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 25 अगस्त, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।